केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968

(1968 का अधिनियम क्रमांक 50)*

[2 दिसम्बर, 1968]

[1][केन्द्र के सशस्त्र बल के संगठन और नियमन के लिए, जो केन्द्रीय सरकार एवं ऐसे औद्योगिक उपक्रमों के कर्मचारियों और उनसे सम्बन्धित मामलों की उचित सुरक्षा एवं निजी क्षेत्र के औद्योगिक संस्थाओं को तकनीकी परामर्श सेवाएँ तथा उनसे सम्बन्धित मामलों के लिए अधिनियम ।]

भारतीय गणराज्य के 19वें वर्ष में संसद द्वारा निम्नानुसार अधिनियमित हो --

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ -- (1) यह अधिनियम **केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968** कहलाएगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर होगा।

(3) यह ऐसे दिनांक[2] को प्रवृत्त होगा, जैसा केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्धारित करे।[3]

2. परिभाषाएँ -- (1) इस अधिनियम में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो --

[4][(क) **"महानिदेशक"** से अभिप्रेत है कि बल का महानिदेशक जिसे धारा 4 के अन्तर्गत नियुक्त किया गया है;]

[5][(कक) **"बल का नामांकित सदस्य"** से अभिप्रेत है कोई भी अधीनस्थ अधिकारी, अवर अधिकारी अथवा अवर अधिकारी से निम्न पद का बल का कोई अन्य सदस्य;

(कख) **"बल"** से अभिप्रेत है "केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल" जो धारा 3 के अन्तर्गत गठित किया गया है;

(कग) **"बल की अभिरक्षा"** से अभिप्रेत है बल के किसी सदस्य की, इस अधिनियम के अन्तर्गत निर्मित नियमों के अनुसार, गिरफ्तारी अथवा प्रतिरोध;]

Scanned by CamScanner

(ख) **"औद्योगिक उपक्रम"** से अभिप्रेत है कोई भी ऐसा औद्योगिक उपक्रम जो अधिसूचित उद्योग है और इसके अन्तर्गत वे उपक्रम भी शामिल हैं जो किसी अन्य उद्योग अथवा व्यवसाय, व्यापार अथवा सेवा में हों, और जिन्हें संसद द्वारा विधि अनुसार अधिनियमित किया जाए;

(ग) **"सार्वजनिक प्रभाग का औद्योगिक उपक्रम"** से अभिप्रेत है, कोई ऐसा औद्योगिक उपक्रम जो निम्न में से किसी के स्वामित्व का हो, नियंत्रित हो अथवा व्यवस्थापित हो --

(i) किसी शासकीय कम्पनी द्वारा जैसा कि कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में परिभाषित है।

(ii) कोई ऐसा निगम जिसे किसी अधिनियम द्वारा या उसके अन्तर्गत केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा गठित किया गया है, और जिसे उनके द्वारा नियंत्रित या व्यवस्थापित किया जाता है।

[1][(गक) **"औद्योगिक संस्था"** से अभिप्रेत है कोई भी औद्योगिक उपक्रम या कम्पनी जिसे कम्पनी एक्ट, 1956 की धारा 3 या कोई फर्म जिसे भारतीय सहभागिता अधिनियम, 1932 की धारा 59 के अधीन पंजीकृत किया गया हो जो किसी उद्योग व्यापार, व्यवसाय या सेवा में हो।]

[2][(गख) **''संयुक्त उद्यम''** से अभिप्रेत है केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा निजी औद्योगिक उपक्रम के साथ संयुक्ततः वचनबंध किया गया उपक्रम;

[3][***]

(ङ) **"प्रबन्ध निदेशक"** से अभिप्रेत है किसी औद्योगिक उपक्रम के सन्दर्भ में, कोई ऐसा व्यक्ति (जो चाहे प्रबन्धक अभिकर्त्ता, सामान्य प्रबन्धक, प्रबन्धक, मुख्य कार्यपालिक अधिकारी अथवा जो अन्य किसी नाम से जाना जाता है) किन्तु जो उस उपक्रम के कार्यों पर नियंत्रण रखता है;

(च) **"बल का सदस्य"** से अभिप्रेत है [4][***] कोई ऐसा व्यक्ति जिसे बल में इस अधिनियम के अन्तर्गत नियुक्त किया गया है;

(छ) **"विहित"** से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाए गए नियमों से विहित;

[5][(छक) **''निजी औद्योगिक उपक्रम''** से अभिप्रेत है कोई उद्योग जो केन्द्रीय या राज्य सरकार या पब्लिक सेक्टर में किसी औद्योगिक उपक्रम से भिन्न किसी व्यक्ति, के स्वामित्व का हो, द्वारा नियंत्रित हो अथवा व्यवस्थापित हो;]

Scanned by CamScanner

(ज) **"अधिसूचित उद्योग"** से अभिप्रेत है कोई ऐसा उद्योग जो किसी ऐसी वस्तु के उत्पादन या निर्माण में संलग्न है, जो औद्योगिक विकास एवं नियमन अधिनियम, 1951 की प्रथम अनुसूची में दर्शित है;

[1][(जक) **"अधीनस्थ अधिकारी"** से अभिप्रेत है, ऐसा व्यक्ति जिसे बल में, निरीक्षक, उप निरीक्षक या सहायक उप निरीक्षक नियुक्त किया गया है;]

(झ) **"पर्यवेक्षण अधिकारी"** से अभिप्रेत है कोई ऐसा अधिकारी जिसे इस अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत नियुक्त किया गया है और इसमें कोई अन्य अधिकारी भी शामिल है जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा बल के पर्यवेक्षण अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है;

[1][(ञ) **"अवर अधिकारी"** से अभिप्रेत है, ऐसा व्यक्ति जिसे बल में प्रधान आरक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है ।]

[2][(2) इस अधिनियम में यदि किसी ऐसे अधिनियम का संदर्भ है जो किसी क्षेत्र में प्रभावशील नहीं है, तो उस क्षेत्र के संबंध में उसका सन्दर्भ उसी प्रकार के किसी अन्य अधिनियम से होगा, यदि ऐसा कोई अधिनियम उस क्षेत्र में प्रभावशील है ।]

3. बल का संगठन -- (1) केन्द्रीय सरकार द्वारा [3][संघ के एक सशस्त्र बल] का गठन और संधारण किया जावेगा जिसे "केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल" कहा जाएगा और जो उस सरकार [4][, संयुक्त उद्यम अथवा निजी औद्योगिक उपक्रम] के औद्योगिक उपक्रमों की श्रेयस्कर सुरक्षा [5][और ऐसे अन्य कोई कर्तव्य जो केन्द्रीय सरकार द्वारा सौंपा जाए], के लिए होगा।

(2) बल का गठन इस प्रकार, [6][पर्यवेक्षण अधिकारी, अधीनस्थ अधिकारी, अवर अधिकारी और बल के अन्य नामांकित सदस्यों] से किया जाएगा, जिन्हें ऐसा वेतन और अन्य पारिश्रमिक दिया जाएगा जैसा कि विहित किया जाए।

4. पर्यवेक्षण अधिकारियों की नियुक्ति और उनके अधिकार -- [7][(1) केन्द्रीय सरकार किसी व्यक्ति को बल का महानिदेशक और ऐसे अन्य पर्यवेक्षण अधिकारीगण नियुक्त करेगी जो आवश्यक समझे जाएँ ।]

Scanned by CamScanner

(2) [1][महानिदेशक] और अन्य पर्यवेक्षण अधिकारी, जिन्हें इस प्रकार नियुक्त किया जाएगा और वे उन अधिकारों और प्राधिकारों का प्रयोग करेंगे, जैसा कि इस अधिनियम में और इसके अन्तर्गत विहित किया गया।

5. बल के सदस्यों की नियुक्ति -- [2][बल के नामांकित सदस्यों की नियुक्ति के अधिकार महानिदेशक में निहित होंगे] जो इन अधिकारों का प्रयोग इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अधीन करेगा :

परन्तु यह कि, इस धारा में प्रदत्त नियुक्ति के अधिकार उन पर्यवेक्षण अधिकारियों द्वारा भी प्रयोग में लाए जा सकते हैं, जैसा कि केन्द्रीय सरकार इस संबंध में अभिनिर्धारित करे।

6. बल के सदस्यों को प्रमाण-पत्र -- [3][(1) बल का प्रत्येक नामांकित सदस्य बल में नियुक्ति होने पर इस अधिनियम की अनुसूची में दर्शित प्रारूप में एक प्रमाण-पत्र प्राप्त करेगा जो महानिदेशक अथवा ऐसे अन्य पर्यवेक्षण अधिकारी की, जिसे महानिदेशक इस संबंध में प्राधिकृत करें, की मुद्रा से मुद्रांकित होगा, जिसके फलस्वरूप ऐसा प्रमाण-पत्र धारित करने वाले व्यक्ति में बल के नामांकित सदस्य के अधिकार निहित होंगे।]

(2) ऐसा प्रमाण-पत्र, उस व्यक्ति के बल का [3][नामांकित सदस्य] न रहने पर प्रभावहीन हो जाएगा।

7. बल का प्रशासन और अधीक्षण -- [4][(1) बल का अधीक्षण केन्द्रीय सरकार में निहित होगा और उसके अधीन एवं इस अधिनियम और इसके अन्तर्गत बनाए गए किसी नियम के अधीन रहते हुए बल का नियंत्रण, पर्यवेक्षण और प्रशासन बल के महानिदेशक के अधीन होगा।]

(2) उपखंड (1) में दिए गए प्रावधानों के अधीन बल का प्रशासन, ऐसी स्थानीय सीमाओं में, जैसा कि विहित किया जाए, बल के [5][ऐसे अन्य पर्यवेक्षण अधिकारीगण जो आवश्यक समझे जाएँ] द्वारा इस अधिनियम और इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अधीन होगा, इस अन्य पर्यवेक्षण अधिकारी जिसे किसी औद्योगिक उपक्रम [6][, संयुक्त उद्यम या निजी औद्योगिक उपक्रम] की सुरक्षा का भार सौंपा गया है, इस संबंध में [4][केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए गए किसी निर्देश अथवा इस संबंध में महानिदेशक द्वारा दिए गए किसी निर्देश] के अन्तर्गत और उस उपक्रम के प्रबन्ध निदेशक सामान्य निर्देशों और नियंत्रण के अधीन वे अपने कर्त्तव्यों का निष्पादन करेंगे।

Scanned by CamScanner

8. बल के सदस्यों की बर्खास्तगी (पदच्युत) और सेवा से पृथक् किया जाना आदि -- संविधान के अनुच्छेद 311 और केन्द्रीय सरकार द्वारा इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए कोई पर्यवेक्षण अधिकारी --

(i) बल के किसी [1][नामांकित सदस्य] को, जिसने उसकी राय में कर्त्तव्य के निष्पादन में उपेक्षा की है, लापरवाही बरती है या कार्यलोप किया है, अथवा जो बल के अयोग्य है, को सेवा से मुक्त कर सकता है, [2][सेवा से पृथक्] [3][, अनिवार्य सेवानिवृत्ति] कर सकता है अथवा पदावनत कर सकता है; अथवा

(ii) निम्न में से किसी एक या अधिक दण्ड से बल के किसी [1][नामांकित सदस्य] को दण्डित कर सकता है, जिसने अपने कर्त्तव्य के निष्पादन में उपेक्षा या लापरवाही प्रदर्शित की है अथवा अपने किसी कार्य से अपने को कर्त्तव्य निष्पादन के अयोग्य ठहराया --

(क) सात दिन के वेतन की राशि तक के जुर्माने से अथवा वेतनमान में अवनति से,

(ख) अतिरिक्त ड्रिल, अतिरिक्त पहरा, फटिंग (श्रमदान) अथवा अन्य अतिरिक्त कर्त्तव्य,

(ग) किसी विशेष महत्व के कार्य से हटा कर अथवा किसी विशेष वेतन को समाप्त करके,

[3][(घ) वेतन वृद्धि का रोका जाना, संचयी प्रभाव के साथ या बिना,]

(ङ) पदोन्नति का रोका जाना,

(च) परिनिन्दा।

9. अपील एवं निरीक्षण -- (1) बल का कोई [1][नामांकित सदस्य] जो धारा 8 के अन्तर्गत दिए गए किसी आदेश से व्यथित है, आदेश के प्राप्त होने से 30 दिन की अवधि में ऐसे आदेश के विरुद्ध, विहित प्राधिकारी को अपील प्रस्तुत कर सकता है, और [4][उपधारा (2-क), उपधारा (2-ख) और उपधारा (3) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए] ऐसे प्राधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा। परन्तु यह कि विहित प्राधिकारी 30 दिन की अवधि समाप्त होने के पश्चात् भी अपील पर विचारण कर सकता है, यदि उसका समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी उचित और पर्याप्त कारणों से निश्चित अवधि में अपील प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा था।

(2) अपील का निराकरण करने के लिए विहित प्राधिकारी द्वारा उस प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य होगा, जैसा कि विहित किया जाए।

[5][(2-क) बल का कोई भी नामांकित सदस्य जो उपधारा (1) के अन्तर्गत पारित किए गए अपील के आदेश से व्यथित है आदेश के प्राप्त होने से 6 माह की अवधि में ऐसे आदेश के विरुद्ध विहित

Scanned by CamScanner

प्राधिकारी को रिवीजन याचिका प्रस्तुत कर सकता है और विहित प्राधिकारी रिवीजन याचिका का विस्तारण उस प्रकार करेगा जैसा कि विहित किया गया हो।

(2-ख) इस उपधारा के उद्देश्य के लिए प्राधिकारी जैसा की विहित किया गया हो, व्यथित बल सदस्य द्वारा रिवीजन याचिका दिए जाने पर या स्वतः विहित की गई अवधि में, धारा 8 या उपधारा (2) या उपधारा (2-क) के अधीन की कार्यवाही का ब्यौरा प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है और उक्त प्राधिकारी इस अधिनियमों के प्रावधानों एवं विहित की गई प्रक्रिया के अनुसार जाँच करने के उपरान्त, जैसा कि उचित समझे आदेश पारित कर सकता है।]

(3) केन्द्रीय सरकार, [1][धारा 8, इस धारा की उपधारा (2), उपधारा (2-क) या उपधारा (2-ख) के अधीन] की गई किसी भी कार्यवाही का अभिलेख बुला सकती है, उसका अवलोकन कर सकती है, और ऐसी जाँच कर सकती है, या करा सकती है और इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए कोई भी ऐसा आदेश कर सकती है जैसा वह उचित समझे :

परन्तु यह और कि कोई भी ऐसा आदेश उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन, जिसमें दण्ड में वृद्धि हो, तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि उस आदेश से प्रभावित व्यक्ति को उचित सुनवाई का अवसर प्रदान न कर दिया गया हो।

10. बल के सदस्यों के कर्त्तव्य -- बल के प्रत्येक [2][***] सदस्य के ये कर्त्तव्य होंगे --

(क) वह अपने से वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा विधिपूर्वक जारी किए गए सभी आदेशों का सत्वर पालन करेगा;

(ख) केन्द्रीय सरकार के सभी औद्योगिक उपक्रमों, और उसके अन्य सभी सहायक प्रतिष्ठानों की, जिन्हें उस उपक्रम के सुचारू कार्य संचालन के लिए महत्वपूर्ण घोषित किया गया है, और जो उसके क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं में स्थित है, की सुरक्षा और संरक्षा करेगा :

परन्तु यह कि यदि कोई प्रतिष्ठान केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व का, या उसके नियंत्रणाधीन नहीं है, यदि इस प्रकार घोषित किया गया है तो केन्द्रीय सरकार इस संबंध में उस राज्य की जहाँ वह प्रतिष्ठान स्थित है, सहमति लेगी;

(ग) [3][कोई संयुक्त उद्यम, निजी औद्योगिक उपक्रम और] ऐसे औद्योगिक उपक्रम के और प्रतिष्ठानों की सुरक्षा और संरक्षा करेगा जिनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए उसे धारा 14 के अधीन पदस्थ किया गया है;

Scanned by CamScanner

[1][(घ) उप-खण्ड (ख) और (ग) में वर्णित, औद्योगिक उपक्रमों और संस्थापनों के कर्मचारियों की सुरक्षा और संरक्षा;

(ङ) कोई भी अन्य ऐसा कार्य करेगा, जो उप-खण्ड (ख) एवं (ग) में वर्णित, औद्योगिक उपक्रमों और संस्थापनों, एवं उप-खण्ड (घ) में वर्णित कर्मचारियों की बेहतर सुरक्षा और संरक्षा के लिए सहायक हो;]

[2][(च) धारा 14-क के अधीन किसी निजी औद्योगिक संस्था को सुरक्षा से संबंधित तकनीकी परामर्श देना;

(छ) सरकार द्वारा ग्रहित या सहायतार्थ संस्था को, एवं उस संस्था के कर्मचारियों जिनका दायित्व केन्द्र सरकार द्वारा सौंपा गया हो, की सुरक्षा एवं संरक्षण करना;

(ज) [3][भारत के भीतर या बाहर] कोई अन्य कर्त्तव्य जो कि केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर सौंपा गया हो।]

11. बिना वारण्ट गिरफ्तार करने की शक्ति -- [4][(1) बल का कोई भी सदस्य बिना वारण्ट और बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के किसी भी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है --

[5][(i) जो उसके विरुद्ध स्वेच्छापूर्वक आपराधिक बल का प्रयोग करता है, अथवा उसका प्रयास करता है, या हमला करता है, अथवा हमले का प्रयास करता है अथवा हमले का भय दिखाता है, अथवा जो स्वेच्छापूर्वक उपहति कारित करता है, अथवा उपहति का भय दिखाता है, अथवा जो स्वेच्छापूर्वक उपहति कारित करता है, अथवा उपहति कारित करने का प्रयास करता है, या सदोष अवरोध करता है, या सदोष अवरोध का प्रयास करता है, अथवा धारा 10 के उप-खण्ड (घ) में सन्दर्भित किसी कर्मचारी के विरुद्ध या बल के किसी सदस्य के विरुद्ध ऐसे कर्मचारी के रूप में अथवा ऐसे बल सदस्य के रूप में उसे अपने कर्तव्य निष्पादन में अवरोध उत्पन्न करता है, या यथास्थिति उसके कर्तव्य के विधि पूर्ण निर्वहन में की गई या की जाने के लिए प्रयत्नित किसी बात के परिणामस्वरूप, उपरोक्त में से कोई कार्य करता है, अथवा]

(ii) जो किसी प्रकार उससे संबंधित है अथवा जिसके विरुद्ध इस बारे में उचित सन्देह विद्यमान है कि वह ऐसे सम्बद्ध रह चुका है अथवा जो अपनी उपस्थिति छिपाने के लिए पूर्वावधानियाँ बरत रहा है, जिससे यह विश्वास करने का कारण है कि वह कोई संज्ञेय अपराध करने के उद्देश्य से, जिसका संबंध, ऐसी सम्पत्ति से है जो किसी औद्योगिक उपक्रम की है अथवा जो औद्योगिक उपक्रम की सीमा में रखी है, जैसा कि धारा 10 के उप-खण्ड (ख) और (ग)

Scanned by CamScanner

में सन्दर्भित है अथवा किसी अन्य प्रतिष्ठान की सम्पत्ति है अथवा किसी अन्य प्रतिष्ठान के क्षेत्र में रखी हुई है जैसा कि उपरोक्त उप-खण्डों में सन्दर्भित है।

(iii) जो कोई संज्ञेय अपराध करता है, अथवा करने का प्रयास करता है जिससे किसी व्यक्ति के जीवन को तब [1][***] खतरा उत्पन्न हो, जब वह उस उपक्रम या प्रतिष्ठान संबंधित कार्य कर रहा हो, जैसा कि धारा 10 के उपखण्ड (ख) और (ग) में सन्दर्भित है।]

(2) यदि कोई व्यक्ति धारा 10 के उपखण्ड (ख) और (ग) में सन्दर्भित औद्योगिक उपक्रमों में अतिक्रमण करता पाया जाता है, तो उसे उसके विरुद्ध की जाने वाली किसी अन्य कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उस व्यक्ति को बल के किसी भी [2][***] सदस्य द्वारा उस औद्योगिक उपक्रम की सीमा से निष्कासित किया जा सकेगा।

12. बिना वारन्ट तलाशी लेने के अधिकार -- (1) जब कभी बल के [3][***] किसी सदस्य को, जो विहित पद से निम्न पद का नहीं है, यह विश्वास करने का कारण है कि कोई ऐसा अपराध जैसा धारा 11 में सन्दर्भित है, घटित हुआ है या घटित किया जाने वाला है, और अपराधी को फरार होने का अथवा अपराध की साक्ष्य नष्ट करने का मौका दिए बिना, तलाशी वारन्ट प्राप्त करना संभव नहीं तो वह किसी अपराध को रोक सकता है और उसके शरीर और उसकी वस्तुओं की तलाशी ले सकता है, और यदि वह उचित समझता है कि किसी व्यक्ति ने ऐसा अपराध किया है, तो वह उसे गिरफ्तार भी कर सकता है।

(2) [4][दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 की संख्यांक 2)] के तलाशी संबंधी प्रावधान जहाँ तक संभव हो, इस धारा के अन्तर्गत ली जाने वाली तलाशियों पर भी लागू होंगे।

13. गिरफ्तारी के बाद की जाने वाली प्रक्रिया -- इस अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तारी करने वाला बल का [3][***] प्रत्येक सदस्य, इस प्रकार गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अनुचित विलम्ब के बिना, पुलिस अधिकारी को सौंपेगा और यदि पुलिस अधिकारी उपस्थित नहीं है तो उस व्यक्ति को उन परिस्थितियों की रिपोर्ट सहित जिसमें उसे गिरफ्तार किया गया है, निकटतम पुलिस थाने को ले जाएगा या भिजवाएगा।

14. बल की सार्वजनिक प्रभाग [5][, संयुक्त उद्यम या निजी प्रभाग] के औद्योगिक उपक्रमों में प्रतिनियुक्ति -- (1) केन्द्रीय सरकार के सामान्य निर्देशों के अधीन रहते हुए, [4][महानिदेशक] के लिए यह वैध होगा कि वह सार्वजनिक प्रभाग [6][, संयुक्त उद्यम या निजी प्रभाग] के

Scanned by CamScanner

किसी औद्योगिक उपक्रम के प्रबन्ध निदेशक द्वारा, आवेदन किए जाने पर, जिसमें ऐसी आवश्यकता प्रतिपादित की गई है, बल के सदस्यों [1][***] की इतनी संख्या जैसा कि [2][महानिदेशक], उस औद्योगिक उपक्रम और किसी अन्य प्रतिष्ठान, जो उससे सम्बद्ध है, की सुरक्षा और संरक्षा के लिए आवश्यक है, प्रतिनियुक्ति कर सकते हैं और इस प्रकार प्रतिनियुक्ति किए गए बल के [1][***] सदस्य उस उपक्रम के प्रबन्ध निदेशक के प्रभार में रहेंगे :

परन्तु यह कि ऐसे उपक्रमों के मामलों में जो ऐसे स्वामित्व के नियन्त्रण के या व्यवस्थापन के हैं --

(i) किसी ऐसी शासकीय कम्पनी द्वारा जिसकी केन्द्रीय सरकार सदस्य नहीं है,

(ii) किसी प्रदेश या राज्य के किसी अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित किसी निगम द्वारा इस प्रकार का कोई भी आवेदन तब तक विचारित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस आवेदन के लिए उस राज्य सरकार की सहमति नहीं ले ली गई है जहाँ यह उपक्रम स्थित है।

(2) यदि [2][महानिदेशक] का मत है कि उपधारा (1) के अन्तर्गत वे परिस्थितियाँ जिनके कारण बल के [1][***] सदस्यों की प्रतिनियुक्ति आवश्यक थी, समाप्त हो चुकी है, अथवा अन्य किसी कारण से यह आवश्यक हो गया है, तो वह उस औद्योगिक उपक्रम के प्रबंध निदेशक को सूचना देकर, बल के इस प्रकार प्रतिनियुक्त [1][***] सदस्यों को वापिस बुला सकता है :

परन्तु यह और कि प्रबन्ध निदेशक द्वारा [2][महानिदेशक] को [3][तीन माह की लिखित सूचना] पर कि इस प्रकार प्रतिनियुक्त बल के [1][***] सदस्यों को वापिस बुलाया जाए, तो उस तिथि को जो उस सूचना में दी गई है अथवा उससे पूर्व की किसी तिथि को जब बल वापिस बुला लिया गया हो, प्रबन्ध निदेशक को बल के प्रभार से मुक्त कर दिया जावेगा।

(3) बल का प्रत्येक [1][***] सदस्य जब वह प्रतिनियुक्ति पर अपने कर्तव्यों का निष्पादन करता है, उन्हीं अधिकारों और शक्तियों का अधिकारी है, वह उन्हीं उत्तरदायित्वों, अनुशासन और दण्ड के लिए, इस अधिनियम के अन्तर्गत उसी प्रकार उत्तरदायी होगा, मानों वह केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वामित्वाधीन औद्योगिक उपक्रम में कर्तव्य निष्पादित कर रहा था।

[4][**14-क. औद्योगिक संस्थाओं को तकनीकी परामर्श सेवाएँ** -- (1) केन्द्रीय सरकार के सामान्य निर्देशों के अधीन रहते हुए, महानिदेशक के लिए यह वैध होगा कि निजी क्षेत्र के किसी औद्योगिक उपक्रम के प्रबन्ध निदेशक या निदेशक या उसके द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किए गए किसी

Scanned by CamScanner

अन्य व्यक्ति द्वारा आवेदन किए जाने पर किसी बल सदस्य का विहित फीस भुगतान पर सुरक्षा संबंधी तकनीकी परामर्श सेवाएँ उपलब्ध करवाए।

(2) उपधारा (1) के अधीन स्वीकार की गई फीस कन्सोलिडेटिड फण्ड ऑफ इंडिया में जमा करवाई जाएगी।

स्पष्टीकरण -- इस उपधारा के लिए किसी औद्योगिक उपक्रम के प्रबन्ध निदेशक से अभिप्रेत है -- वह व्यक्ति जिसे चाहे जनरल मैनेजर, मैनेजर, चीफ एक्जीक्युटिव ऑफिसर या संस्था का भागीदार या अन्य किसी भी नाम से जाना जाए जो संस्था के कार्यकलापों पर नियन्त्रण रखता हो।]

15. बल के अधिकारियों एवं सदस्यों का सदैव कर्तव्यारूढ़ समझा जाना और भारत में कहीं भी पदस्थ किए जाने के लिए उत्तरदायी होना -- (1) बल का प्रत्येक [1][***] सदस्य, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, सदैव कर्तव्यारूढ़ समझा जावेगा और उसे किसी भी समय भारत में [2][या बाहर] कहीं भी पदस्थ किया जा सकेगा।

(2) किन्तु जैसा कि धारा 14 में निर्देशित है, बल का कोई भी [1][***] सदस्य इस अधिनियम के अन्तर्गत कर्तव्यों के अलावा स्वयं को अन्य किसी भी नियोजन के कार्य में नहीं लगाएगा।

[3][**15-क. संघ आदि गठित करने के अधिकारों पर प्रतिबन्ध --** (1) बल का कोई भी सदस्य, केन्द्रीय सरकार की लिखित अनुमति के बिना, अथवा विहित प्राधिकारी की लिखित अनुमति के बिना --

(क) किसी भी प्रकार, किसी ट्रेड यूनियन, लेबर यूनियन, राजनैतिक संघ अथवा ट्रेड यूनियन की किसी शाखा अथवा लेबर यूनियन या राजनैतिक संगठन की किसी शाखा का सदस्य नहीं बनेगा या किसी भी प्रकार उससे सम्बद्ध नहीं होगा, अथवा

(ख) किसी भी प्रकार, किसी अन्य संस्था, समाज, संघ अथवा संगठन का, जिसे बल का भाग होने के रूप में मान्यता नहीं दी गई है अथवा जो पूर्णरूप से सामाजिक, मनोरंजनपूर्ण अथवा धार्मिक प्रकृति का नहीं है, से न तो संबंधित होगा और न ही उसका सदस्य होगा, अथवा

(ग) किसी भी प्रकार 'प्रेस' या प्रकाशन अथवा किसी पुस्तक, पत्र अथवा किसी अन्य दस्तावेज को प्रकाशित नहीं करवाएगा, संसूचित नहीं करेगा, सिवाय इसके जहाँ इस प्रकार की संसूचना अथवा प्रकाशन अपने कर्तव्यों के सद्भावनापूर्वक निष्पादन के लिए है अथवा जो शुद्ध रूप से साहित्यिक या कलात्मक अथवा वैज्ञानिक प्रकृति की अथवा विहित की गई प्रकृति की है।

Scanned by CamScanner

स्पष्टीकरण -- जब कभी किसी समाज, संस्था, संघ अथवा संगठन के बारे में यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि यह पूर्णरूप से सामाजिक, मनोरंजन अथवा धार्मिक प्रकृति की है, जैसा कि उपखण्ड (ख) में वर्णित है तो ऐसी दशा में केन्द्रीय सरकार का निर्णय अन्तिम होगा।

(2) बल का कोई भी सदस्य किसी सभा या किसी प्रदर्शन में, किसी भी प्रकार न तो उसे संबोधित करेगा और न ही उसमें कोई भाग लेगा, जिसे किसी या किन्हीं व्यक्तियों द्वारा किसी राजनैतिक उद्देश्य के लिए गठित किया गया है अथवा किसी अन्य ऐसे उद्देश्यों के लिए गठित किया गया है, जैसा विहित किया जाए।]

16. निलम्बन के दौरान बल के सदस्यों का उत्तरदायित्व -- बल का कोई भी सदस्य निलम्बन की अवधि में भी बल का सदस्य बना रहेगा और इस अवधि के दौरान उन सभी उत्तरदायित्वों, अनुशासन और दण्ड के लिए उसी प्रकार उत्तरदायी रहेगा जैसा कि वह कर्त्तव्यारूढ़ रहते हुए होता।

17. बल का सदस्य न रहने पर, नियुक्ति प्रमाण-पत्र और शस्त्र आदि का समर्पण -- (1) प्रत्येक व्यक्ति जो किसी कारण से बल का [1][नामांकित सदस्य] नहीं रहता अपना नियुक्ति प्रमाण-पत्र, अस्त्र-शस्त्र, साज-सज्जा और अन्य सभी वस्तुएँ जो उसे, बल का सदस्य होने के नाते, कर्तव्य निष्पादन के लिए प्रदत्त की गई थीं, किसी ऐसे पर्यवेक्षण अधिकारी को सौंप देगा जिसे इस निमित्त, उन्हें प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

(2) उपधारा (1) के निर्देशानुसार यदि कोई व्यक्ति उपेक्षा करता है या जानबूझकर अपना नियुक्ति प्रमाण-पत्र, अस्त्र-शस्त्र अथवा साज-सज्जा और अन्य आवश्यक वस्तुओं को, जो उसे कर्तव्य के निष्पादन के लिए दी गई थीं, उन्हें परिदत्त नहीं करता तो दोषसिद्ध होने पर उसे 1 मास तक के कारावास तक के लिए अथवा 200 रुपये तक के जुर्माने से अथवा दोनों से दण्डित किया जाएगा।

(3) इस धारा में की कोई बात किसी ऐसी वस्तु पर लागू नहीं होगी जो [1][महानिदेशक] के आदेश के अनुसार उस व्यक्ति को दिए जाने के पश्चात् उसकी सम्पत्ति हो चुकी है।

18. कर्तव्य इत्यादि की उपेक्षा के लिए शास्ति -- [2][(1) धारा 8 के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना बल का कोई भी सदस्य जो कर्तव्य के किसी अतिक्रमण का अथवा किसी नियम या विनियम अथवा किसी पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा दिए गए विधिपूर्ण आदेश की जानबूझकर उपेक्षा करने का या भंग करने का दोषी है अथवा जो अपने पद के कर्तव्यों से बिना अनुज्ञा के अनुपस्थित हो जाता है अथवा जो छुट्टी से, ऐसी छुट्टी का अवसान होने पर बिना युक्तियुक्त कारण के कर्तव्य पर उपस्थित नहीं होता अथवा जो बिना प्राधिकार के अपने बल के कर्तव्यों से भिन्न किसी अन्य नियोजन में

Scanned by CamScanner

लगता है अथवा जो कायरता का दोषी है, तो उसे 'बल की अभिरक्षा' में ले लिया जाएगा और दोषसिद्ध होने पर उसे एक वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए कारावास के दण्ड से दण्डित किया जाएगा।

(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी इस धारा के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध संज्ञेय और अजमानतीय होगा।

(2-क) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी केन्द्रीय सरकार समादेशक को किसी भी श्रेणी के मजिस्ट्रेट के अधिकार प्रदत्त कर सकती है, जिसका उपयोग दल के किसी नामांकित सदस्य द्वारा, इस अधिनियम के अन्तर्गत किए जाने वाले और दण्डनीय किसी अपराध की जाँच या विचारण के लिए किया जा सकता है अथवा बल के किसी अन्य सदस्य के विरुद्ध या उसकी सम्पत्ति के विरुद्ध किए जाने वाले किसी अपराध के विचारण के लिए किया जा सकता है :

परन्तु यह कि --

(i) जब अपराधी छुट्टी पर हो अथवा कर्तव्य से अनुपस्थित हो, या

(ii) जब अपराध अपराधी के, बल नामांकित सदस्य के रूप में उसके कर्तव्यों से संबंधित न हो, या

(iii) जब अपराध क्षुद्र प्रकृति का है, तब भले ही वह अपराधी के बल के नामांकित सदस्य के रूप में उसके कर्तव्यों से संबंधित है, या

(iv) जब समादेशक द्वारा मजिस्ट्रेट के अधिकारों के अधीन यह संभव नहीं है कि वह उस अपराध की सुनवाई कर सके, तब इन कारणों के लिखित रूप से अभिलिखित करने पर,

अपराध की सुनवाई, यदि विहित अधिकारी, जिसके क्षेत्राधिकार में अपराध घटित हुआ है, वह चाहता है, तो किसी सामान्य आपराधिक क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायालय द्वारा की जा सकती है।]

(3) इस धारा की किसी बात का यह अर्थ नहीं होगा कि बल का कोई सदस्य किसी अन्य अपराध के लिए अभियोजित नहीं किया जा सकता और उसे किसी अन्य कानून के अधीन दण्डित किए जाने के लिए अथवा किसी अन्य दण्ड या अधिक दण्ड के लिए, जैसा कि इस धारा के अन्तर्गत बताया गया है अभियोजित किया जा सकेगा :

परन्तु यह कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए दुबारा दण्डित नहीं किया जाएगा।

19. अधिनियम संख्या 22, सन् 1922 का बल के [1][***] सदस्यों पर लागू होना -- पुलिस (द्रोह उद्दीपन) अधिनियम, 1922 बल के [1][***] सदस्यों पर उसी प्रकार लागू होगा जैसा कि वह पुलिस बल पर लागू है।

20. किन्हीं विशिष्ट अधिनियमों का बल के सदस्यों पर लागू न होना -- पेमेन्ट ऑफ वेजेस एक्ट, 1936 अथवा औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 अथवा, कारखाना अधिनियम, 1948 अथवा अन्य कोई ऐसा अधिनियम जो औद्योगिक विवाद की विवेचना और निर्णय से संबंधित है एवं किसी राज्य विशेष में प्रभावशील है, की कोई भी बात बल के सदस्यों पर लागू नहीं होगी।

Scanned by CamScanner

21. बल के [1][***] सदस्यों के कार्यों की सुरक्षा -- (1) बल के किसी [1][***] सदस्य के लिए किसी वाद या कार्यवाही में जो उसके विरुद्ध उसके ऐसे कृत्यों के लिए, जो उसके द्वारा कर्तव्य निष्पादन के लिए किए गए थे, में यह अभिवचन करना विधिपूर्ण होगा कि वह कृत्य प्राधिकारी के आदेश से किया गया था।

(2) ऐसा कोई भी अभिवचन उन आदेश को प्रस्तुत करके प्रमाणित किया जा सकता है, जिससे वह कार्य किया गया था और यदि ऐसा प्रमाणित कर दिया जाता है, तो बल का [1][***] सदस्य उसके कृत्यों के उत्तरदायित्व से उन्मोचित कर दिया जाएगा, भले ही ऐसा आदेश देने वाले अधिकारी के क्षेत्राधिकार में कोई दोष रहा हो।

(3) तत्समय प्रवृत्त किसी कानून में किसी बात को होते हुए भी किसी दीवानी या दाण्डिक कार्यवाही में जो बल के किसी [1][***] सदस्य के विरुद्ध उसके कृत्यों या कृत्य करने के आशय के लिए, जो इस अधिनियम या इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों या विनियमों द्वारा प्रदत्त अधिकारों से संबंधित हैं, कृत्य करने के तीन माह की अवधि में ही प्रारम्भ किया जाना चाहिए अन्यथा नहीं और इसके बारे में इस आशय का सूचना-पत्र लिखित रूप से संबंधित सदस्य और पर्यवेक्षण अधिकारी को ऐसी कार्यवाही शुरू करने के एक माह पूर्व देना अनिवार्य होगा।

22. नियमों को बनाने की शक्ति -- (1) केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना जारी करके इस अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नियम बना सकती है।

(2) विशेषतया और पूर्वगामी सामान्य अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्न प्रावधानों के लिए होंगे --

(क) बल के [1][***] सदस्यों की सेवा शर्तों और पद श्रेणी, पदक्रम, वेतन, पारिश्रमिक आदि के नियमन के लिए,

(ख) बल के [1][***] सदस्यों के अधिकार और कर्तव्यों के नियमन के लिए जो उन्हें इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रदत्त किए गए हैं,

(ग) बल के [1][***] सदस्यों की सेवा अवधि निश्चित करने के लिए,

(घ) बल के सदस्यों के अस्त्र-शस्त्र, साज-सज्जा, वर्दी और अन्य आवश्यक वस्तुओं आदि की संख्या और विवरण निश्चित करने के लिए,

(ङ) बल के सदस्यों के निवास स्थानों को विहित करने के लिए,

Scanned by CamScanner

(च) बल के प्रशासन से संसक्त प्रयोजन के लिये किसी निधि का संस्थापन, प्रबंधन और विनियमन करने के लिए,

(छ) दण्डों के नियमन, दण्डादेशों के विरुद्ध प्रस्तुत अपील पर सुनवाई करने वाले प्राधिकारियों के विहित करने के संबंध में अथवा अर्थदण्ड जमा करने अथवा अन्य दण्डों के संबंध में और अपीलों के निराकरण के लिए पालन की जाने वाली प्रक्रिया को विहित करने के लिए,

[1][(छछ) इस अधिनियम के अन्तर्गत बल अभिरक्षा सम संबंधित मामलों के बारे में नियमन के लिए, तथा अभिरक्षा में लिए जाने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के नियमन हेतु,

(छछछ) इस अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले अपराधों से संबंधित मामलों के निराकरण के लिए और इस अधिनियम के अन्तर्गत दोषसिद्धि के पश्चात् अपराधियों को निरोध में रखे जाने वाले स्थान को निर्दिष्ट करने के लिए,]

[2][(छछछछ) धारा 9 की उपधारा (2-क) के अधीन विहित प्राधिकारी तथा रिवीजन याचिका के निवारण के लिए की जाने वाली प्रक्रिया,

(छछछछछ) धारा 9 की उपधारा (2-ख) के अधीन विहित प्राधिकारी के द्वारा रिकार्ड प्रस्तुत किए जाने के लिए करने की अवधि उक्त प्रधिकारी द्वारा जाँच किए जाने की प्रक्रिया,]

(ज) धारा 14 के अधीन बल के [3][***] सदस्यों की प्रतिनियुक्त की शर्तों और उसके लिए प्रभार के संबंध में, [4][***]

[2][(जज) धारा 14-क की उपधारा (1) के अधीन तकनीकी परामर्श सेवाओं के लिए भुगतान की जाने की फीस के भुगतान की प्रक्रिया, और]

(झ) किसी भी अन्य मामले के लिए जिसे विहित किया जाए या विहित किया जाना है [1][अथवा जिसके संबंध में इस अधिनियम के अन्तर्गत नियम बनाए जाना अपेक्षित है]।

(3) इस धारा के अन्तर्गत बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो 30 दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा, जो एक सत्र में [5][या दो या अधिक अनुक्रमिक सत्रों में पूरी होगी और यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त अनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व], दोनों सदन यदि उस नियम के संबंध में परिवर्तन करने के लिए सहमत

Scanned by CamScanner

हो जाएं, तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा, यदि दोनों सदन इस प्रकार सहमत होते हैं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभावी हो जावेगा, किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभावी होने के पूर्व उसके अधीन पहले की गई किसी बात की मान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

(धारा 6 का अवलोकन करें)

क, ख केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 के अन्तर्गत बल के [1][नामांकित सदस्य] नियुक्त किए जाते हैं और बल के [1][नामांकित सदस्यों] के अधिकार कर्तव्य और विशेष अधिकार उनमें निहित किए जाते हैं।

मौजूदा बल के संबंध में प्रावधान -- (1) मुख्य अधिनियम के अन्तर्गत गठित किया गया बल जो इस अधिनियम के लागू होने के पूर्व कार्यरत था, जिसे इस धारा में वर्तमान बल कहा गया है, इस अधिनियम के लागू होने पर उसका गठन इस अधिनियम के अनुसार, संशोधित अधिनियम के अन्तर्गत किया गया माना जावेगा और वर्तमान बल का प्रत्येक सदस्य कॉलम 1 में दर्शाए अनुसार जिस पद को ग्रहण किए हुआ था, इस संशोधन के लागू होने के पश्चात् उसे कॉलम नं. 2 के अनुसार पद-गृहित किया हुआ माना जावेगा।

स्थान-सारणी

(1)	(2)
(1) मुख्य सुरक्षा अधिकारी	कमाण्डेन्ट
(2) उप मुख्य सुरक्षा अधिकारी	उप-कमाण्डेन्ट
(3) सुरक्षा अधिकारी	सहायक कमाण्डेन्ट
(4) मुख्य सुरक्षा गार्ड	मुख्य आरक्षक
(5) वरिष्ठ सुरक्षा गार्ड	नायक
(6) सुरक्षा गार्ड	कांस्टेबल

Scanned by CamScanner

(क) यदि बल का ऐसा सदस्य वर्तमान बल में किसी अन्य सेवा से प्रतिनियुक्ति पर आया है, और

(ख) किसी अन्य मामले में सेवा से निवृत्त होने को है, और

इस प्रकार प्रस्तुत किया गया विकल्प अन्तिम होगा, बल का कोई सदस्य जो इस प्रकार विकल्प का प्रयोग करता है, तो उसे ऐसा विकल्प प्रस्तुत करने की तिथि से 30 दिन की अवधि में उसके विकल्प के अनुसार उसे अपनी मूल इकाई में, जहाँ से वह प्रतिनियुक्ति पर आया है, जाने की अनुज्ञा दी जाएगी, अथवा जैसी भी स्थिति हो, सेवानिवृत्त होने की अनुज्ञा प्रदान की जाएगी।

स्पष्टीकरण -- इस धारा के उद्देश्य के लिए पद 'सदस्य' के अन्तर्गत कोई अधिकारी और पद 'महानिदेशक' का वही अर्थ होगा जो उन्हें मुख्य अधिनियम में इस अधिनियम के संशोधन के अनुसार दिया गया है।

Scanned by CamScanner